## फर्द अहकाम

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

जगमालराम पुत्र नगाराम **बनाम** बाबुराम पुत्र नगाराम वगैराह

किस्म मुकदमा 53,188 रा.काश्तकारी अधि. मुकदमा नम्बर 28/2021 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई |
|---|---|---|
| 03.05.2021 | वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 07.06.2021 को पेश हों।<br>(हस्ताक्षर)<br>पत्रावली ... (कोरोना कारण) ... के ... में ... लॉकडाउन ... पूर्व आदेश ... 12/7/21 को पेश हो। | |
| 12/7/21 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। ... अधिकारी राजकीय कार्य/दुक्त ... पर है। पत्रावली इजलास लेकर दिनांक 18/8/21 को पेश हो। | |
| | पत्रावली प्रस्तुत ... अधिकारी राजकीय कार्य/दुक्त ... है। पत्रावली इजलास लेकर दिनांक 20/9/21 को पेश हो। | |
| 20/9/21 | पत्रावली पेश हुई। ओथवाला उप. । आगामी पेशी पर रसीदें A.D. की रसीदें पेश करें। पत्रावली दिनांक 20/10/21 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई। ... अधिकारी राजकीय कार्य/दुक्त ... पर है। पत्रावली इजलास लेकर दिनांक 10/12/21 को पेश हो। | |
| 10/12/21 | पत्रावली आज ... 2021 ... कोष्ठ ... हुई। आभि... ... वादी उपस्थि... ... की गयी। परन्तु ... ... न्यायालय में दिनांक 3/1/22 ... । | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.18 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested

## फर्द अहकाम

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर<br>अनवान:- जगमालराम v/s बाबूराम<br>मुकदमा नं. 28/2021 वर्ष 2021 | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई |
|---|---|---|
| 24/12/24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी एवं अर्जेण्ट का पेश होने पर पत्रावली तारीख पेशी पर ली गई। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मिसल तलबी के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 का पेश किया गया जो वादी द्वारा दिनांक 11.11.2024 को प्राप्त की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया का जवाब आज न्यायालय मे पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 मे अंकित किया गया है कि वादी ने ग्राम सेखाला पटवार हल्का सेखाला तहसील सेखाला के खसरा नम्बर 734/1 रकबा 24.15 बीघा एवं खसरा नम्बर 734/2 रकबा 22 बीघा का भूमि विभाजन का पेश किया गया था जो विचाराधीन है। न्यायालय हाजा द्वारा बाबुराम बनाम पपूराम राजस्व मूल वाद संख्या 30/2021 का दिनांक 27.05.2024 को अन्तिम रूप से फैसल कर प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री जारी की गई थी तथा उक्त खसरान की भूमि पर न्यायालय हाजा द्वारा विभाजन का वाद तय कर अन्तिम रूप से निर्णित कर दिया गया है। वर्तमान मे उकत वाद मे न्यायालय किसी ऐसे वाद का विवादक का विचारण नही कर सकता है जिसमे प्रत्यक्षतः व सारतः विवाद्य विषय उन्ही पक्षकारो के बीच पूर्ववर्ती वाद मे प्रत्यक्षतः व सारत विवाद्य रहा है तथा वाद मे भी ऐसा ही विवादक बताया गया है जो न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे सूना जा चुका है व अन्तिम रूप से भी निश्यच किया जा चुका है। उक्त वाद मे दावा किया गया अनुतौष व डिकी अन्तिम रूप से पारित कर जारी कर दी गई है तथा उक्त वाद मे वाद पत्र के साथ वादी ने एक नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमे वादी ने उक्त वाद मे वादी जगमालराम व विनिश्चय किये गये वाद मे वादी बाबुराम की भूमि को नक्शे मे दर्शाया गया है विनिश्चय किये गये वाद मे भी विभाजन मे वही भूमि उक्त वाद के वादी जगमालराम के ह कमे दी गई है जिसमे भी साफ जाहिर है कि वादी का जिस जगह कब्जा था वह भूमि उससे विनिश्चय किये गये वाद मे भी उसी जगह दी गई है। इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा उक्त खसरान के बारे मे दुबारा किसी भी प्रकार की डिकी व आदेश पारित नही कर सकता क्योकि पहले ही उक्त वाद का अन्तिम रूप से निपटारा हो गया है। न्यायालय हाजा द्वारा एक ही विवाद बिन्दु पर दो प्रकार के निर्णय किसी भी प्रक[illegible] पारित नही [illegible] सकते है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्ग[illegible] सिविल प्रकिया संहिता 1908 का जवा[illegible] जिसमे वादी द्वारा अंकि[illegible] ग्राम सेखाला पटवार हल्का सेखाला [illegible] नम्बर 734/1 रकबा 24.15 बीघा एवं खसरा नम्बर 734/[illegible] रकबा 22 बीघा के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके मुकदमा नम्बर 28/2021 है। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा मे वाद बाबुराम बनाम पपूराम पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 30/2021 है। जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनो वादो की कार्यवाही आगे बढाई तथा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.18 12:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

## फर्द अहकाम

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई |
|---|---|---|
| | दोनो वादो मे न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित किया गया। जिस पर प्रतिवादी के वाद मे तहसीलदार के आदेशानुसार पटवारी की एकतरफा मौका रिपोर्ट मय फर्द पेश हुई जिस पर उक्त वादी को बिना सुने आदेश पारित कर दिया जो कि न्यायोचित नही है। जिस पर प्रतिवादी किशनाराम ने अपीलीय न्यायालय मे आदेश दिनांक 27.05.2024 के विरूद्व अपील पेश की गई जिस पर माननीय अपीलीय न्यायालय ने वाद संख्या 30/2021 आदेश दिनांक 27.05.2024 पर स्थगन कर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जो आज दिन प्रभावी है। उक्त वाद एवं अप्रार्थी द्वारा पेश वाद मे किसी भी प्रकार से समानता नही है क्योकि उक्त वाद मे वादी एवं प्रतिवादी किसनाराम का मौके पर कब्जा है उस जगर पर अप्रार्थी के वाद मे पटवारी की मौका रिपोर्ट मे किसनाराम की जगह प्रभुराम का कब्जा बता दिया गया जिससे प्रतिवादी किसनाराम का हक व हित दोनो प्रभावित हुई है। इसलिए उक्त वाद धारा 11 सीपीसी के अधीन नही है। दोनो वादो मे पक्षकारो के अलग–अलग कब्जे को लेकर विवाद है जिस कारण से विवाद्यक को प्रत्यक्षतः और सारतः विवादित और वही होना नही कहा जा सकता जो कि पूर्व न्याय के सिद्वान्त के तौर पर नही कर सकता। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।<br>प्रार्थना पत्र पर बहस सूनी गई। हनमे पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रतिवादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजो को परीशीलन किया गया। न्यायालय हाजा मे वादग्रस्त आराजी के दो वाद विचाराधीन थे जिसमे से एक वाद 30/2021 बाबुराम बनाम पपूराम मे दिनांक 27.05.2024 को अन्तिम डिक्री पर्चा जारी किया जा चुका है। जिसमे वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जा चुका है। उक्त अन्तिम डिक्री पर्चा की अपील वादी अधिवक्ता (जगमालराम बनाम बाबुराम) द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 25.10.2024 को प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी जगमालराम को वाद संख्या 30/2021 मे हुई निर्णय की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजुद भी वादी जगमालराम द्वारा उक्त वाद मे पूर्व के वाद का कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे स्पष्ट खण्डन करने हेतु कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। विषय वस्तु पर न्यायालय द्वारा दो तरह के निर्णय पारित नही किये जा सकते है। अतः इस आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद जगमालराम बनाम बाबुराम वाद संख्या 28/2021 को अस्वीकार कर अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी,<br>बालेसर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.18 12:21:09 IST
Reason: Self Attested